रमेश पोखरियाल 'निशंक'
31/12/2019

जनसत्ता

नागरिकता कानून और सच

युगों से भारतीय संस्कृति ने मानव सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक विकास में बड़ा योगदान दिया है। भारत की संस्कृति इस देश की आत्मा है। यह संस्कृति एक निरंतर प्रवाहमान धारा है, जिसे ऋषियों, संतों और सूफियों ने अपनी पवित्र साधना और दर्शन से सींच कर एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित कर विश्व को प्रेरित किया है। युगों–युगों से भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रतिपादित किया है। भारतीय संस्कृति ने हमेशा इस तथ्य पर जोर दिया है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है।

भारत सरकार ने संसद के दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन विधेयक–2019 पारित कराया। यह कानून अल्पसंख्यक शरणार्थियों को वर्षों के उत्पीड़न से निजात दिलाने के उद्देश्य से लाया गया है। यह कानून देश के संविधान की मूल भावना को पोषित और रक्षित करता है। यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के संबंध में है जो 31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले से भारत में रह रहे हैं।

प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान तक भारत ने हमेशा शरणागत लोगों का न केवल स्वागत किया है, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए एक वातावरण भी उपलब्ध कराया है। चाहे महात्मा गांधी हों या जेबी कृपलानी, अब्दुल कलाम आजाद सबने ही तो इस बात की चिंता की है कि शरणार्थी को सम्मान सहित आसरा उपलब्ध कराए जाना चाहिए। हमारा गौरवमयी इतिहास रहा है। एक समृद्ध परंपरा रही है कि हमने अपनी धरती पर दूसरे देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों का दिल खोलकर स्वागत किया है। 12 जुलाई 1947 की प्रार्थना सभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था जिन लोगों को पाकिस्तान से भगाया गया था, उन्हें पता होना चाहिए कि वे पूरे भारत के नागरिक थे... उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे भारत की सेवा करने और उनकी महिमा से जुड़ने के लिए पैदा हुए थे। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। स्वाधीनता के समय और आज हम अल्पसंख्यकों का अनुपात देखें, तो पाएंगे कि भारत के विपरीत उनके अनुपात में काफी कमी आई है।

पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति दुर्व्यवहार को देख कर 15 नवंबर 1947 को नई दिल्ली में एनआइसीसी की बैठक में जेबी कृपलानी ने कहा था कि हमें पाकिस्तान से आने वालों के लिए भारतीय संघ के सेवा और समझौतों के संदर्भ में केंद्रीय और प्रांतीय नियमों को सहज कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने समय–समय पर ऐसे बयान दिए जो पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार को इंगित करते हैं। 26 सितंबर, 1947 को महात्मा गांधी ने प्रार्थना सभा में खुले तौर पर घोषणा थी कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख भारत आ सकते हैं, अगर वे वहां निवास नहीं करना चाहते हैं। उस स्थिति में उन्हें नौकरी देने और उनके जीवन को सामान्य बनाना भारत सरकार का पहला कर्तव्य है। 12 फरवरी, 1964 को एचएन मुखर्जी ने कहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बातें की जा रही हैं जो लोग आ रहे हैं और जो पहले यहां आ चुके हैं, उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। वे शरणार्थी नहीं हैं। उन्हें एक घर उपलब्ध कराना होगा। यह देश उनका घर होना चाहिए।

इस अधिनियम के माध्यम से इसी दिशा में काम किया गया है। शरणार्थियों का मुद्दा हमेशा से अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। इस अधिनियम के लिए कवायद 2014 में प्रारंभ हुई थी। अगर क्रमवार देखा जाए तो पता चलेगा कि 15 जून 2015 को जारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चार हजार तीन सौ हिंदू और सिख एक वर्ष के अंदर शरणार्थी बनकर भारत आए। इसका परिणाम यह हुआ कि 19 जुलाई 2016 को नागरिकता संशोधन

विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया। इसके पश्चात मंथन के लिए इसे अगस्त 2016 में संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। पूरे ढाई साल तक संयुक्त संसदीय समिति ने नागरिकता संशोधन मसौदे का गहन अध्ययन किया और जनवरी 2019 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया जनवरी, 2019 में विधायक लोकसभा में पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में रुक गया। पिछली लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह रद्द हो गया था, इसलिए अब इसे पुनः संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद तीन देशों– पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समाज के लोग तभी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं जब उन्हें भारत में पांच वर्ष पूरे हो चुके हों। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 24 मई 1971 में कहा था–'15 और 16 मई को मैंने असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया, बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की पीड़ा को साझा करने के लिए, उन्हें इस सदन और लोगों यानी भारत की सहानुभूति और समर्थन के लिए स्वयं पूरी व्यवस्था पर नजर रखने के लिए जो उनकी देखभाल के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है।

उपेक्षित, त्रस्त, प्रताड़ित, सताए लोगों को अगर शरण देने की बात है तो यह तो हमेशा से होता आया है। वसुधैव कुटुंबकम और 'सर्वे भवन्तु सुखिनरू सर्वे सन्तु निरामया' की भावना से प्रेरित होकर दुनिया के हर असहाय, कमजोर व्यक्ति को हमने आसरा दिया है। यही कारण है कि महान हिंदी कवि जय शंकर प्रसाद ने कहा है– 'अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।'

यहां यह बताना आवश्यक है कि विश्व के किसी भी देश का मुसलिम भारत की नागरिकता के लिए मूल भारतीय अधिनियम के अनुभाग के तहत अपना आवेदन दे सकता है और नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यहां तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमान भी भारतीय नागरिकता कानून के अनुभाग के तहत आवेदन दे सकते हैं और भारत में शरण लेने के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में लोगों को भ्रम जाल में फंसाकर राजनीति की जा रही है। विरोध कर रहे विद्यार्थियों को, आम लोगों को यही नहीं पता कि वे विरोध किस चीज का कर रहे हैं।

भारतीय नागरिकता कानून के अनुभाग के तहत आवेदन दे सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में लोगों को भ्रम जाल में फंसाकर राजनीति की जा रही है। विरोध कर रहे विद्यार्थियों को, आम लोगों को यही नहीं पता कि वे विरोध किस चीज का कर रहे हैं।

यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि राजनीति से प्रेरित एक दुष्प्रचार यह किया जा रहा है कि भारत में गैरकानूनी रूप से रह रहे विदेशियों को देश से बाहर निकालने के लिए प्रत्येक मामले की जांच नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत होगी। सच बात यह है कि ऐसे मामलों पर फैसला विदेशियों से संबंधित अधिनियम के तहत ही होगा। कुछ लोग संविधान के अनुछेद 14 और 21 की दुहाई देकर कह रहे हैं कि इस अधिनियम को लाकर सरकार ने इन दो अनुच्छेदों के विपरीत कार्य किया है। जबकि सच यह है कि यह अधिनियम इन अनुच्छेदों की किसी भी प्रकार से अवहेलना नहीं करता है। संसद विशेष परिस्थितियों को देखकर कानून बना सकती है, जैसे हज पर जाने वाले यात्रियों को सब्सिडी देती है और अटल सरकार के दौरान इस पर विशेष ध्यान दिया गया था। वैसे भी यह अधिनियम केवल पारसी या केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, यह हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाइयों के लिए है। पूरे देश को यह बताना जरूरी है कि इस नए अधिनियम के तहत नागरिकता साबित करने हेतु कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। कुछ लोग रोहिंग्या की बात कर रहे हैं। जहां तक रोहिंग्या का प्रश्न है, उनमे से बहुत सारे लोग म्यांमार में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आइके गुजराल ने कहा था कि हमने संसद में मोहम्मद अली जिन्ना के ऐतिहासिक भाषण में उन्हें यह कहते हुए सुना था कि नया पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और आधुनिक राज्य होगा। दुर्भाग्य से यह एक अल्पकालीन भ्रम था। नागरिकता संशोधन अधिनियम के संबंध में कई भ्रांतियां हैं, जो निराधार हैं। लोगों ने अपने–अपने ढंग से अपनी आवश्यकता अनुसार उसकी व्याख्या शुरू कर दी। स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ लोग भ्रमित दुष्प्रचार कर इस कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि पूर्णतय हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरित और संविधान की मूल भावना से ओतप्रोत है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा 1947 से 1967 के बीच में लगभग 70 लाख हिंदू पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए। 15 साल पहले नेहरू लियाकत समझौता में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का

वादा किया गया था लेकिन फिर भी पाकिस्तान में उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं हैं कि यह कानून परंपरागत भारतीय मूल्यों के साथ उन सार्वभौमिक मूल्यों के संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर है जिनसे भारत की विश्व में पहचान बनी है। जहां एक ओर हमने हमेशा विदेशी भूमि से लोगों का स्वागत किया है और उन्हें गले लगाया है, उनके मूल्यों और परंपराओं को समाहित करती हमारी संस्कृति अत्यंत विविधताओं को समेटे हुए एक खूबसूरत जीवंतता के दर्शन कराती है। विविध भाषाएं, विविध परंपराएं और विविध अस्तित्व का आनंद मनाते हमने एक बात पर जोर दिया है और वह है मानवीय मूल्य। सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारा हमारी प्राथमिकता रही है। हम न केवल दूसरों के दर्द को समझते हैं और साझा करते हैं, बल्कि उनके दुख दूर करने का प्रयास भी करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम इन्हीं मानवीय मूल्यों को परिलक्षित करता है।

(लेखक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं।)